कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोंण्डा वन प्रभाग, गोंण्डा।

पत्रांक 1943 /33–1, दिनांक, गोंण्डा, नवम्बर 13 /2017

सेवा में,

विक्रय अधिकारी
भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 गोण्डा।

विषयः– जनपद गोण्डा में गोण्डा के अर्न्तगत गोण्डा–उतरौला (एम0डी0आर 18 ई0) के किमी0 18–19 के मध्य दायी पटरी पर स्थित ग्राम बेलहरी तहसील व जिला गोण्डा के गाटा सं0– 269 मे प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के अवागमन मे प्रभावित 0.059826 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध मे।(आनलाइन प्रस्ताव सं0–एफ/यु0पी0/अर्दस/25708/2017)।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या पी0–95/14–2–2017–800(91)/2017 दिनांक 02.11.2017।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में उ0प्र0 सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृति पत्र आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करें, जिसके अनुसार शर्त संख्या–1 व 2 पर गोण्डा वन प्रभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित धनराशि जमा करते हुए सन्दर्भित आदेश के प्रत्येक विन्दु का अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

कसं0	शर्त संख्या व विवरण	धनराशि
1	**एन0पी0वी0 धनराशि** शर्त सं0–7 प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या–(सिविल)202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0सं0–566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 5.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी । शासनादेश के अनुसार खुले वन लिए इको क्लास तृतीय श्रेणी के आधार पर 8.03 लाख प्रति हे0 हेतु अर्थात 0.059826 X803000=41730रु0 से आंकलित	**48040.00**
2	**क्षतिपूरक वनीकरण धनराशि** शर्त सं0–27 प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। (100 वृक्ष)	**173653.00**
योगः–		**221693.00**

(रूपये दो लाख इक्कीस हजार छः सौ तिरान्वे रु0 मात्र)

उपरोक्त धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति के कम में शुद्व वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकर का उपकम)नई दिल्ली में आनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालन द्वारा (**e-payment portal**) ई–चालन द्वारा जमा कराया जायेगा कृपया **(रूपये दो लाख इक्कीस हजार छः सौ तिरान्वे रु0 मात्र)** को उक्त खाते में भुगतान करें एवं पावती की मूल रसीद (जमा की धनराशि की ई–पोर्टल की रसीद) ई–चालन द्वारा जमा की गयी धनराधि की पुष्टि मुख्य वन संरक्षक कैम्पा उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय से कराकर सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध करायें। सैद्वान्तिक स्वीकृति के विन्दुवार आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

संख्या................अ/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।

2– मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0 लखनऊ।

3– वन संरक्षक देवीपाटन वृत्त गोण्डा।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।